

19.05.25 पत्रावली वेश हुई। वकील अभ्यक्ष उपर।
वकील अभ्यक्ष की बख्त पर मनन करने से
पत्रावली का अलोकन करने पर पाया गया कि
पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि की
पैमईश की लेकर है। वकील अभ्यक्ष द्वारा
बख्त के दौरान निवेदन किया गया कि विवादित
भूमि की पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः पैमईश
कराकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। अतः
वकील अभ्यक्ष का निवेदन स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार घड़साना को निर्देशित किया जाता है
कि वह जक 4MLD-B-I के फ० नं. 47/19
मु. नं. 08 में वादी से प्रतिवादी की भूमि की
पैमईश दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में की
जाकर मैका पर कब्जा सम्भलवाया जावे।
तहसीलदार को पृथक से लिखा जावे। पत्रावली
में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः
पत्रावली बाद तहसील छोड़कर दायर
रफ्तार है।

निर्णय लिखा जाकर तुले जापाल प
में सुनाया गया।

Raj
19.05.25
(किरण पाल)
RAS.
तहसील अधिकारी
घड़साना